राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2373/2016

बालुराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक अभियंता, उत्पादन उपखंड प्रथम (उत्तर), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बन्धगेट, पम्पिंग स्टेशन, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वैलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी (पेंशन), सार्दुलसिंह की नाल, आतिश मार्केट के पीछे, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 01.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30.09.1998 को हुई थी। आदेश दिनांक 11.02.1999 के द्वारा अपीलार्थी को पेंशन दिये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2014 जारी कर अपीलार्थी को यह सूचित किया गया कि उसकी पूर्व की पेंशन को संशोधित कर 90918/– रूपये व जीपीओ की राशि 20130/– रूपये एवं सीपीओ की राशि 20836/रूपये की वसूली का आदेश पारित किया गया और साथ ही यह अंकित किया गया कि अपीलार्थी से दिनांक 01.10.1998 से अब तक किया गया भुगतान, जो उसे अधिक देना दर्शाया है, वसूली करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में जारी पीपीओ, जीपीओ व सीपीओ विभाग द्वारा अंतिम वेतन के आधार पर स्वविवेक से जारी किया था। अपीलार्थी की ओर से मिस–रिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया। आदेश दिनांक 22.03. 2016 पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया। वसूली के सम्बन्ध में आदेश 18 वर्ष के लम्बे अंतराल बाद जारी किया गया है, जो उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थी से वसूली एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 3146/1999 उनवानी श्री नारायण बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2006 की अनुपालना में अधिक भुगतान की गयी राशि 90918/– राजकीय अधिवक्ता की राय व नो अपील के आधार पर नियमानुसार की गयी है। नगर वृत्त कार्यालय के नोटिस दिनांक 21.11.2006 द्वारा अपीलार्थी को सूचित

कर पूरा समय देकर उक्त वसूली आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी से अधिक भुगतान की राशि न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर वसूली की गयी है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि सेवानिवृति के 18 वर्ष के लम्बे अंतराल के बाद वसूली की कार्यवाही की गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी से वसूली की कार्यवाही किये जाने से पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3146/1999 श्री नारायण बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2006 की पालना में अधिक भुगतान की राशि वसूल किये जाने के आदेश पारित किये हैं। हम पाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो रिट याचिका दर्ज हुई है, उसमें अपीलार्थी पक्षकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी से वूसली किये जाने के आदेश पारित नहीं किये हैं। अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृति के 18 वर्ष पश्चात वसूली की कार्यवाही की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015(1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

> (State of Punjab v Rafiq Masih 2015 (1) SCT 195)
> "12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:
> (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).
> (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.
> (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.
> (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.
> (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee, would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी जो कि दिनांक 30.09.1998 को सेवानिवृत हुआ था, उसके करीब 18 वर्ष पश्चात आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2016 जारी कर वसूली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। हम यह भी पाते हैं कि राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने परिपत्र दिनांक 17.08.2016 जारी कर सेवानिवृत कर्मचारियों से वसूली नहीं किये जाने के दिशा–निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त

परिस्थितियों में हम वसूली का आदेश दिनांक 22.03.2016 जारी किया जाना उचित नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 22.03.2016 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी से आदेश दिनांक 22.03.2016 की पालना में कोई वसूली की कार्यवाही नहीं की जाए। यदि पूर्व में अपीलार्थी से इस सम्बन्ध में कोई वसूली की गयी है तो वसुल की गई राशि को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अपीलार्थी को वापस लौटाई जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)